बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
–:: संकल्प ::–

श्रीमती स्वाती कुमारी, तत्कालीन प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, भोजपुर सम्प्रति प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि की रोक की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

दिनांक 09.03.2019 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना एवं निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना द्वारा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, भोजपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्रीमती स्वाती कुमारी, तत्कालीन प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, भोजपुर में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी। फलतः श्रीमती स्वाती कुमारी के विरूद्ध संस्थान (मुख्यालय) से बाहर रहने के संबंध में निदेशालय को सूचना नहीं दिये जाने तथा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किये अनुपस्थित पाये जाने आदि के आरोप में आरोप पत्र गठित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17/19 आलोक में श्रीमती स्वाती कुमारी को आरोप–पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय ज्ञापांक--1875 दिनांक--07.08.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्रीमती स्वाती कुमारी द्वारा कार्यालय पत्रांक--230 दिनांक 09.09.2019 से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उल्लेख किया गया कि दिनांक--09.03.19 को विकास आयुक्त, बिहार एवं निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा संस्थान की निरीक्षण की कोई सूचना उन्हें प्राप्त नहीं थी। वे संस्थान में ही थी तथा करीब दो बजे अपराहन में सात निश्चय योजना के तहत निर्माणाधीन नये संस्थान के भौतिक सत्यापन हेतु धनपुरा, आरा चली गयी। करीब तीन बजे कार्यालय से दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर वापस संस्थान लिए प्रस्थान किया। परन्तु आरा शहर में रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने तथा ट्रैफिक जाम के कारण उन्हें संस्थान पहुँचने में विलम्ब हो गया, तब तक सभी महोदयगण वापस जा चूकें थे।

यह भी उल्लेख किया गया कि संस्थान से नव निर्माणाधीन भवन की दूरी 10 कि०मी० है तथा सात निश्चय योजनान्तर्गत इस नव निर्माणाधीन भवन के कार्यप्रगती की समीक्षा प्रतिमाह मुख्यालय स्तर पर की जाती है। इस संबंध में श्रीमती स्वाती द्वारा दो तिथियों क्रमशः दिनांक--25.02.19 तथा दिनांक--09.03.19 को उक्त निर्माणाधीन संस्थान की ली गयी फोटोग्राफ को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया तथा तुलनात्मक प्रगति की बात कही गयी। दिनांक--09.03.19 को नव निर्माणाधीन संस्थान की कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु धनपुरा, आरा प्रस्थान करने की जानकारी सभी कार्यालय कर्मियों तथा प्रधान सहायक को भलीभांती थी।

3. श्रीमती स्वाती कुमारी के समर्पित स्पष्टीकरण की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती स्वाती कुमारी के निर्माणाधीन नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यो की अद्यतन भौतिक स्थिति की जानकारी हेतु धनपुरा, आरा जाने की सूचना संस्थान के प्रधान सहायक को भी नहीं थी। अगर संस्थान में लौटने के समय रेलवे क्रॉसिंग बंद थी एवं यातायात जाम थी तो स्थिति से निदेशक महोदय को दूरभाष से अवगत कराया जाना चाहिए था। साथ ही साक्ष्य के रूप में श्रीमती के समर्पित फोटो के अवलोकन से यह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है कि सभी फोटो दिनांक--09.03.19 को ही लिए/खिंचे गये हों। इस प्रकार श्रीमती स्वाती कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को संतोषजनकप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप

सक्षम प्राधिकार के द्वारा श्रीमती स्वाती कुमारी के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोक जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4 अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित, 2007) के नियम 14 के (v) के आलोक मे श्रीमती स्वाती कुमारी, तत्कालीन प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, भोजपुर सम्प्रति प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विरूद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5 प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती स्वाती कुमारी, तत्कालीन प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, भोजपुर सम्प्रति प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 17/2019 श्र०सं० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 17/2019 श्र०सं० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 17/2019 श्र०सं० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 17/2019 श्र०सं० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 17/2019 श्र०सं० पटना, दिनांक–

निबंधित डाक प्रतिलिपि– श्रीमती स्वाती कुमारी, प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 17 / 2019 श्र०सं०– 14 पटना, दिनांक 06/01/2020

प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण / अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / प्रभारी गोपनीय चारिणी / लोक सूचना पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा 01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/01/2020

सरकार के उप सचिव